न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

अपील संख्या 323/2023

बाबूलाल नेहरा पुत्र श्री बिरदूराम नेहरा जाति जाट निवासी चौमू पुरोहितान तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान।

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर, तहसील कार्यालय रींगस जिला सीकर।
2. रामरतन पुत्र जगराम
3. कृष्ण कुमार पुत्र चौथमल
4. गोगराज पुत्र चौथमल
5. गोपाल पुत्र चौथमल
6. जवाहरमल पुत्र जगराम
7. झाबरमल पुत्र जगराम
8. रामेश्वर पुत्र भगताराम
9. श्रवण पुत्र भगताराम
10. सीताराम पुत्र भूरा
11. पप्पूराम पुत्र मोतीराम
12. महेन्द्र कुमार पुत्र मोतीराम
13. सुभाष पुत्र मोतीराम

समस्त जाति जाट निवासी नेहरा की ढाणी तन चौमू पुरोहितान तहसील रींगस जिला सीकर राजस्थान।

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—

1. वकील श्री सागरमल धायल अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सांवरमल चौधरी रेस्पोडेन्टस् 2 ता 13 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
सीकर

निर्णय

दिनांकः—13.12..2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के आदेश दिनांक 09.06.2023 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है विपक्षी सं0 2 लगायता 13 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन यह कथन करते हुए किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं0 828/1167 तथा 798, 800, 801, 832/1177 ग्राम चौमू पुरोहितान तहसील रींगस जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका प्रार्थीगण ने दिनांक 05.06.2023 को तहसीलदार रींगस के आदेश क्रमांक एल.आर/2023/सीमाज्ञान/1039 दिनांक 02.06.2023 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलार्थी के तन्हा कब्जे एवं काश्त की भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के पूर्वजों का अर्साकदीमी से कब्जा चला आ रहा है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा जो पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उसके संबंध में सीमाज्ञान के लिए अपीलार्थी को तहसीलदार द्वारा कोई जानकारी नही दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत निर्णय पारित किये जाने के समय वादग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदारो को सूचना नही दिये जाने के तथ्य को पूरी तरह नजरअन्दाज किया है। उक्त आदेश की आड़ में प्रार्थी के अनन्य कब्जे और अधिकार की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2023 को खारिज फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगण 2 लगायता 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सांवरमल चौधरी उपस्थित हुए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हमें सुनवाई अवसर प्रदान किये बिना ही पत्थरगढ़ी के आदेश पारित कर दिये। खसरा नं0 838/1177 व 828/1167 की खातेदारी प्रत्यर्थीगण के नाम गलत रूप से अंकित हो गयी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है। विवादास्पद भूमि पर पत्थरगढ़ी नही हो सकती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
सीकर

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि किसी खातेदार अपने भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है। कृषि भूमि का बंदोबस्त सन् 1980 में हुआ तब से ही प्रत्यर्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। पत्थरगढ़ी आदेश दिनांक 03.08.2023 में स्पष्ट है कि बेदखल नही कर रहे है केवल पत्थरगढ़ी ही होना है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से अपील खारिज फरमायी जावे।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला द्वारा दिनांक 09.06.2023 को कृषि भूमि खसरा 798, 800, 801, 838/1177 व 828/1167 ग्राम चौमू पुरोहितान में सीमज्ञना का आदेश पारित किया गया। जमाबंदी सम्वत 2079 के खसरा नं0 798, 800, 801, 838/1177 व 828/1167 में प्रत्यर्थीगण बतौर खातेदार अंकित है। प्रत्यर्थीगण बतौर खातेदार होने के नाते अपने कब्जे काश्त की भूमि का सीमाज्ञान करवाने का हक अधिकार रखते है। अधीनस्थ न्यायालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलाने अथवा बेदखल करने की कार्यवाही नही की जावे। अतः उक्त आदेश अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि हक अधिकारों पर किसी प्रकार विपरित प्रभाव प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2023 विधिसम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2023 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर